


SHRI MATA MANSI DEVI SHRINE BOARD, PANCHKULA

INVITATION OF APPLICATIONS

Applications are hereby invited on prescribed Performa from interested Bhandara Organisations/ Parties/ Individuals, who intend to organise Bhandaras/Langars/Chhabeels etc. at Shri Mata Mansa Devi Shrine Complex, Panchkula to serve the devotees/visitors during Navratra Mela (06.04.2019 to 14.04.2019). Performa and the terms and conditions can be downloaded from website of Board i.e. www.mansadevi.org.in. The applications are to be submitted in the office of Shrine Board by 30.03.2019 upto 5.00 p.m. The space would be earmarked at site through draw of lots among eligible organisations on 02.04.2019 at 11.00 am.


Chief Executive Officer,
Shri Mata Mansa Devi
Shrine Board, Panchkula.

Application for obtaining permission for organising Bhandara/Chhabeel during Navratra Mela (06.04.19 to 14.04.19)

To

The Chief Executive Officer,
Shri Mata Mansa Devi Shrine Board,
Panchkula.

No.

Dated

Sub:- Application for obtaining permission for organising Bhandara/ Chhabeel etc. during Navratra Festival (18.03.18 to 25.03.18).

With reference to the subject cited above, we intend to organise Bhandara during Navratra period as per the description detailed in the performa attached with our own expenses. We are ready to abide with terms and conditions of your office.

It is, therefore, requested that a suitable piece of land may kindly be ear-marked for this charitable purpose.

Attached: Performa

Name:

Designation: President

Bhandra Organisation Name:

Mobile No:

PERFORMA

Details of Bhandara/Chhabeel etc. to be run at Shri Mata Mansa Devi Shrine Board during Navratra (06.04.19 to 14.04.19)

Name of Bhandara Committee/Organiser :
(As registered)

Name of President :

Aadhar No :

Address of President :

Registration details

Registration Authority :

Registration No./Date :

Whether organised Bhandara at Mansa Devi earlier Yes/No

No of day for permission required :

Dates for Bhandara/Chhabeel etc. :

Items to be served :

No of devotees expected during whole Bhandara/Chhabeel etc. period days, which are projected to be feed. :

Land required (Sq. Yard) :

Whether Jagran will be organised : Yes/No

If yes, Date of Jagran :

Total budget for Navratra Bhandra :

I _____ S/o Sh. _____ President _____

solemnly affirm and declare that the terms and conditions shall be adhered fully.

Name:

Designation: President

Address:

Phone:

नियम एवं शर्तें

1. नवरात्र मेला के दौरान केवल दर्शासी गई तिथियों में भण्डारा/जागरण/छब्बील का आयोजन किया जायेगा उनको बोर्ड द्वारा केवल स्थान उपलब्ध करवाया जायेगा ।
2. दिये गये परिसर/क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटना एवं अग्नि पर नियन्त्रण की व्यवस्था आदि स्वयं सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी ।
3. मन्दिर प्रशासन/बोर्ड द्वारा दी गई जगह/स्थान का प्रयोग केवल भण्डारा/जागरण/छब्बील लगाने के लिए ही किया जायेगा, उस पर ना तो किसी प्रकार की कोई व्यवसाय की गतिविधि करेंगे और ना ही किसी प्रकार का विज्ञापन आदि का प्रयोग किया जायेगा ।
4. मन्दिर प्रशासन/बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के कार्यक्रम नही करवाये जायेंगे ।
5. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
6. किसी प्रकार के नुकसान या हानि की भरपाई सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी ।
7. भण्डारा/छब्बील परिसर में अग्नि शमन यंत्र का प्रबन्ध भी स्वयं सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा ।
8. प्रयोग में लाये जाने वाले स्थान/जगह की साफ सफाई का जिम्मा भी सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि का होगा ।
9. मन्दिर प्रशासन/बोर्ड द्वारा दिया गया स्थान/जगह केवल सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा मांगी गई तिथियों के लिए ही केवल भण्डारा/छब्बील हेतु प्रयोग में लाया जायेगा ।
10. बिजली व पानी की व्यवस्था भी स्वयं व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी ।
11. मन्दिर प्रशासन/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थान/जगह पर किसी भी रूप में धन/सामान एकत्रित नहीं किया जायेगा ।
12. घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग करना वर्जित होगा ।
13. सिक्वोरिटी राशि 10,000/-रुपये (राशि दस हजार रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट बोर्ड कार्यालय में भण्डारा/ जागरण/छब्बील लगाने हेतु जो लेखाकार के पास जमा करवाई गई है को गठित कमेटी की रिपोर्ट उपरांत रिफण्डेबल की जायेगी ।
14. श्री माता मनसा देवी पूजास्थल परिसर में विशेष ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुये हर प्रकार के प्लास्टिक सामान जैसे कैंरी बैग, सभी प्रकार के साईज व मोटाई वाले प्लेट, कप, चम्मच, गिलास, कांटा व पेय पदार्थ पीने वाली पाईप का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है ।
15. भण्डारा/जागरण/छब्बील की रसाई 20 प्रतिशत क्षेत्र में होनी चाहिए तथा servicing क्षेत्र 50 प्रतिशत का होना चाहिए ।
16. प्रतिदिन भण्डारा चलाने की समय सारणी व कितने श्रद्धालुओं को भण्डारा खिलाया गया के बारे दिये गये स्थान पर किसी साईन बोर्ड पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे ।
17. सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि में जो भी कर्मचारी कार्यरत होंगे उनका पूर्ण ब्योरा सम्बन्धित पुलिस थाना मनसा देवी कम्प्लैक्स, पंचकूला में जमा करवायें, जमा न करवाने की सूरत में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि के लिये व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेवार होंगे ।
18. भण्डारा बनाने एवं वितरित करने वाले प्रतिनिधि/कर्मचारी/वर्कर का मैडिकल फिटनेस से सम्बन्धित का प्रमाण-पत्र भी नजदीक सामान्य अस्पताल या मेले में स्थापित सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से बनवाकर रखे ऐसा कोई प्रतिनिधि/व्यक्ति/वर्कर नहीं होना चाहिये जो किसी प्रकार के संकमित रोग या किसी प्रकार के नशे इत्यादि का सेवन करता हो, यदि कोई ऐसा हो तो उससे भण्डारा बनाने एवं वितरित करने के कार्य को पूर्णतया: वर्जित करना सुनिश्चित करेंगे । भण्डारा के किसी भी कर्मचारी/प्रतिनिधि/वर्कर जो भण्डारा बनाते हो एवं श्रद्धालुओं को वितरित करते हो को जिला प्रशासन/बोर्ड प्रशासन के अधिकारी किसी भी समय चैक कर सकते हैं ।

19. सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि वे किसी प्रकार का कूड़ा-कचरा/बेकार वस्तुओं इत्यादि के निपटान के लिये बड़े-2 कचरे के डिब्बे का प्रयोग करेंगे तथा उक्त कचरे के डिब्बे साफ सुथरे होने चाहिये और इसमें डालने वाली बेकार वस्तुओं को समय-2 पर खाली करवाकर साफ-सुथरा करवाना भी सुनिश्चित करेंगे ।
20. सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो भोजन/प्रसाद/मिठाई एवं जल/फल इत्यादि का वितरण उनके द्वारा श्रद्धालुओं को किया जायेगा इसके बारे जिला स्वास्थ्य अधिकारी, पंचकूला से अपने-2 खाद्य पदार्थों के सैम्पल समय-2 चैक करवाकर इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दिया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी प्रकार का वासा, दूषित भोजन एवं जल/फल का प्रयोग व वितरण नहीं करेंगे तथा Food Safety Act में किये गये प्रावधानों की भी पालना करना सुनिश्चित करेंगे ।
21. स्थान का आर्बटन गठित कमेटी द्वारा क्लू विसवज के माध्यम से किया गया है जो स्थान/संख्या दर्शायी गई है उसमें भण्डारे का संचालन करना सुनिश्चित करेंगे ।
22. उपरोक्त किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर उक्त व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि को दी गई अनुमति किसी भी समय रद्द की जा सकती है या भविष्य में उपरोक्त को अनुमति नहीं दी जायेगी तथा जमा करवाई गई सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री माता मनसा देवी पूजास्थल
बोर्ड, पंचकूला ।